# स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१

<u>प्रस्तावना</u>: गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक औषधी, स्वास्थ्य सामग्री एवम् औजार उपकरणको प्रक्षेपण, खरिद, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ को दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ।

## परिच्छेद-१

## <u>प्रारम्भिक</u>

१. <u>संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ</u>: (१) यस निर्देशिकाको नाम "स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१" रहेको छ।

(२) यो निर्देशिका कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. <u>परिभाषा</u>: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा,-

(क) "अध्यक्ष" भन्नाले दफा ३ बमोजिम प्रदेश तथा जिल्लामा गठित आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।

(ख) "आपूर्ति श्रृंखला" भन्नाले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक हुने स्वास्थ्य सामग्रीको प्रक्षेपण, खरिद, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणलाई सम्झनु पर्छ।

(ग) "केन्द्र" भन्नाले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई सम्झनु पर्छ।

(घ) "मन्त्रालय" भन्नाले कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सम्झनु पर्छ।

(ङ) "स्वास्थ्य सामग्री" भन्नाले औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री, खोप तथा खोपजन्य सामग्री र औजार तथा उपकरणलाई सम्झनु पर्छ।

(च) "सदस्य-सचिव" भन्नाले दफा ३ बमोजिम प्रदेश तथा जिल्लामा गठित आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समितिको सदस्य-सचिवलाई सम्झनु पर्छ।

(छ) "समिति" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित प्रदेश आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समिति, दफा ४ बमोजिम गठित जिल्ला आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समिति, दफा ५ बमोजिम गठित आयूर्वेद स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समिति र दफा ६ बमोजिमको स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समितिलाई सम्झनु पर्छ।

प्रदेश सचिव

(ज) "औषधालय" भन्नाले आयुर्वेद क्षेत्रको सेवा प्रदान गर्ने स्थायी संरचनालाई सम्झनु पर्छ।

(झ) "स्वास्थ्य केन्द्र" भन्नाले जिल्लास्थित आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई सम्झनु पर्छ।

## परिच्छेद-२

## आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन

३. प्रदेश आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समितिः (१) आपूर्ति श्रृंखलालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि देहाय बमोजिमको प्रदेश आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समिति रहनेछः-

(क) निर्देशक, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, सुर्खेत -अध्यक्ष

(ख) निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, सुर्खेत -सदस्य

(ग) महाशाखा प्रमुख,स्वास्थ्य सेवा महाशाखा, मन्त्रालय -सदस्य

(घ) प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय -सदस्य

(ङ) प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी, प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत -सदस्य

(च) प्रमुख, प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र, सुर्खेत -सदस्य

(छ) प्रमुख, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय, सुर्खेत -सदस्य

(ज) शाखा प्रमुख, भण्डार शाखा, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, सुर्खेत -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) प्रदेशमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री प्रवाहको पुनरावलोकन गरी सोको प्रक्षेपण गर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा सिफारिस गर्ने,

(ख) प्रदेशस्तरमा चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा बैठकको आयोजना गर्ने,

(ग) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला सम्बन्धी वार्षिक योजना तर्जुमा, स्वास्थ्य सामग्रीको माग, खरिद, भण्डारण, वितरण र ढुवानीको प्रभावकारी प्रबन्ध मिलाउने,

(घ) विद्युतीय आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्ने,

(ङ) आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत सामग्रीको शुन्य मौज्दात, अत्याधिक मौज्दात, वितरणमा असन्तुलन जस्ता गम्भीर समस्या हुन नदिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने,

प्रदेश सचिव

(च) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनमा संलग्न प्राविधिक जनशक्ति तथा कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा स्थलगत अनुशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,

(छ) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला सुधारको लागि बहस पैरवी, सरोकारवाला तथा विकास साझेदारसँग आपसी सहयोग र समन्वय गर्ने,

(ज) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउन नवीनतम कार्यको थालनी र असल अभ्यासका लागि सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने,

(झ) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन सम्बन्धमा नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी सुधार तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय प्रदेश आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रमा रहनेछ।

४. <u>जिल्ला स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन समिति</u>: (१) जिल्ला स्तरमा आपूर्ति श्रृंखलालाई व्यवस्थित बनाउन देहाय बमोजिमको जिल्ला स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समिति रहनेछ:-

(क) प्रमुख, जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य सेवा कार्यालय -अध्यक्ष

(ख) प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा, जनस्वास्थ्य वा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय -सदस्य

(ग) प्रमुख, तथ्यांक शाखा, जनस्वास्थ्य/ स्वास्थ्य सेवा कार्यालय -सदस्य

(घ) प्रमुख, स्वास्थ्य शाखा, सम्बन्धित स्थानीय तह -सदस्य

(ङ) शाखा प्रमुख, भण्डार शाखा जनस्वास्थ्य वा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय -सदस्य-सचिव

(२) दफा उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) जिल्लामा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री प्रवाहको पुनरावलोकन तथा सोको प्रक्षेपण गरी प्रदेश आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्ने,

(ख) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन सम्बन्धमा वार्षिक योजना तर्जुमा, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको माग, खरिद, भण्डारण, वितरण र ढुवानीको प्रभावकारी प्रबन्ध मिलाउने,

(ग) बिद्युतीय आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्ने,

(घ) आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत सामग्रीको शुन्य मौज्दात, अत्याधिक मौज्दात, वितरणमा असन्तुलन लगायतका समस्या हुन नदिन स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण गर्ने,



प्रदेश सचिव

(ङ) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनको लागि प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धी गर्न स्थानीय तहमा अनुशिक्षणमा सहजीकरण गर्ने,

(च) चौमासिक तथा बार्षिक समीक्षा बैठकको आयोजना गर्ने,

(छ) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सरोकारवाला बीच बहस पैरवी तथा विकास साझेदारसँग आपसी सहयोग र समन्वय गर्ने,

(ज) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउन नवीनतम कार्यको थालनी र प्रयोगसिद्ध असल अभ्यासका लागि सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय जिल्ला जनस्वास्थ्य वा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा रहनेछ।

५. <u>आयुर्वेद स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समिति</u>: (१) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखलालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको देहाय बमोजिमको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समिति रहनेछः-

(क) प्रमुख, सम्वन्धित जिल्लाको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र -अध्यक्ष

(ख) प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र -सदस्य

(ग) प्रमुख, प्राविधिक शाखा, सम्वन्धित आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र -सदस्य

(घ) प्रतिनिधि, नागरिक स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्र -सदस्य

(ङ) प्रमुख, भण्डार शाखा, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र -सदस्य-सचिव

(२) दफा उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक पर्ने आयुर्वेद सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री प्रवाहको पुनरावलोकन गरी स्रोको प्रक्षेपण गर्ने,

(ख) आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन सम्बन्धमा वार्षिक योजना तर्जुमा, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको माग, खरिद, भण्डारण, वितरण र ढुवानीको प्रभावकारी प्रवन्ध मिलाउने,

(ग) विद्युतीय आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्ने,

(घ) आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत सामग्रीको शुन्य मौज्दात, अत्याधिक मौज्दात, वितरणमा असन्तुलन लगायतका समस्या हुन नदिन स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण गर्ने,

(ङ) आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहमा अनुशिक्षणका लागि सहजीकरण गर्ने,



प्रदेश सचिव

(च) चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा बैठकको आयोजना गर्ने,

(छ) आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सरोकारवालाबीच बहस पैरवी तथा विकास साझेदारसँग आपसी सहयोग र समन्वय गर्ने,

(ज) आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउन नवीनतम कार्यको थालनी र असल अभ्यासका लागि सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय स्वास्थ्य केन्द्रमामा रहनेछ।

६. <u>स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समिति</u>ः (१) आपूर्ति श्रृंखलालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको एक स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन समिति रहनेछः-

(क) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित स्थानीय तह -अध्यक्ष

(ख) प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा, सम्बन्धित स्थानीय तह -सदस्य

(ग) प्रमुख, आधारभूत अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था, सम्बन्धित स्थानीय तह -सदस्य

(घ) प्रमुख, भण्डार शाखा, सम्बन्धित स्थानीय तह -सदस्य

(ङ) प्रमुख, स्वास्थ्य शाखा, सम्बन्धित स्थानीय तह -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री प्रवाहको पुनरावलोकन गरी सोको प्रक्षेपण तथा सिफारिस गर्ने,

(ख) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन सम्बन्धमा वार्षिक योजना तर्जुमा, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको माग, खरिद, भण्डारण, वितरण र ढुवानीको प्रभावकारी प्रबन्ध मिलाउने,

(ग) विद्युतीय आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्ने,

(घ) आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत सामग्रीको शुन्य मौज्दात, अत्याधिक मौज्दात, वितरणमा असन्तुलन जस्ता समस्या हुन नदिन स्वास्थ्य संस्थासँग आवश्यक सहजीकरण गर्ने,

(ङ) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनको लागि प्राविधिक दक्षता हासिल गर्न स्वास्थ्य संस्थामा अनुशिक्षण गर्ने,

(च) चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा बैठकको आयोजना गर्ने,

(छ) स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउन नवीनतम कार्यको थालनी र असल अभ्यासका लागि सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने,



प्रदेश सचिव

(ज) त्रैमासिक रुपमा अभिलेख व्यवस्थापन गरी वेभसाइटमा अपलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

७. <u>समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था</u>: (१) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार पटक त्रैमासिक रुपमा बस्नेछ।

(२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा वस्नेछ।

(३) समितिको बैठक बोलाउँदा सदस्य सचिवले एजेण्डा सहित कम्तिमा चौबिस घण्टा अगाडि समितिका सबै सदस्यलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

(४) समितिको बैठकको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी प्रमाणित भएको पाँच दिनभित्र सबन्धित सबैलाई कार्यान्वयनका लागि जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(५) समितिको बैठकमा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा बिकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिने छ।

(६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

## परिच्छेद-३

## <u>प्रक्षेपण तथा खरिद व्यवस्थापन</u>

८. <u>स्वास्थ्य सामग्री प्रक्षेपण सम्बन्धी व्यवस्था</u>: (१) केन्द्रले आगामी आर्थिक बर्षका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको परिमाण सहितको सम्पूर्ण विवरण सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट सङ्कलन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सामग्रीको प्रक्षेपण गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको तथ्याङ्क, बिगत तीन वर्षको खपत, अघिल्लो वर्षको शुन्य परिमाण, रुग्णता दर, स्वास्थ्य संस्थाको माग, स्वीकृत कार्यक्रम, उपचार तालिका, महामारी तथा भैपरीका लागि आवश्यक पर्ने परिमाण, जगेडा मौज्दात, खेर जाने दर, लक्षित जनसंख्या, कार्यक्रमको विस्तारलाई आधार मानी गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको आधारको मुख्य श्रोत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र विद्युतीय आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई लिनु पर्नेछ।

(४) आगामी आर्थिक बर्षको औषधीको प्रक्षेपण कार्य चालु आर्थिक बर्षको मसान्तसम्म गरी सक्नु पर्नेछ।

(५) राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने खोपको प्रक्षेपण गर्दा जिल्लाले प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्ने सुक्ष्म योजना बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

९. <u>खरिद सम्बन्धी व्यवस्था</u>: (१) दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको प्रक्षेपित परिमाणलाई आधार मानी खरिद परिमाण निर्धारण गर्नु पर्नेछ।



प्रदेश सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिम खरिद परिमाण निर्धारण गर्दा अनुसूची-१ बमोजिमको तीन तहका सरकारको खरिद वर्गीकरण, औसत मासिक खपत, न्युनतम र अधिकतम मौज्दातस्तर, आकस्मिक माग बिन्दु, भण्डारमा भएको मौज्दात, आउँदै गरेको परिमाण, खरिद गर्दा लाग्ने समय, अनुमानित मूल्य, बजेट उपलब्धता तथा सोको स्रोत साथै एकै पटक वा पटक-पटक गरी खरिद वा आपूर्ति गर्ने भए सो समेतलाई आधार मानि खरिद परिमाण निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण भएको परिमाण खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिमका प्रक्रिया अवलम्बन गरी गर्नु पर्नेछ।

## परिच्छेद-४

## भण्डार व्यवस्थापन

१०. <u>औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको भण्डारण</u>: औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको उचित संरक्षण, वितरण र गुणस्तर कायम राखी भण्डारण गर्न देहाय बमोजिमका कार्य गर्नु पर्नेछः-

(क) औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीहरूको न्याक, दराज तथा प्यालेटमा भण्डार गर्ने,

(ख) औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री सुक्खा र भेन्टिलेसन भएको (राम्रोसँग हावा आवतजावत हुने) ठाउँमा भण्डारण गर्ने,

(ग) औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको कार्टुनहरू भुईमा नछुने र भित्तामा नजोड्ने गरी मिलाएर राख्ने,

(घ) औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री सूर्यको सीधा प्रकाश नपर्ने गरी राख्ने,

(ङ) औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीलाई कार्यालय सामान, कीटनाशक औषधी र रासायनिक पदार्थबाट अलग भण्डारण गर्ने,

(च) औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीलाई पानी तथा ओसबाट बचाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने,

(छ) कण्डम तथा रबरले बनेका वस्तुलाई इलेक्ट्रिक मोटर र अत्याधिक प्रकाश दिने बत्तीबाट टाढा राख्ने,

(ज) भण्डारमा आगो निभाउने साधनको व्यवस्था गर्ने,

(झ) सुरक्षाको सुनिश्चितता सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,

(ञ) नियमित दैनिक तथा साप्ताहिकरूपमा भण्डार कोठा सफा गरी कीरा-मूसाबाट जोगाउने,

(ट) फेफो (First Expiry First Out) प्रणाली अनुसार वितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने गरी औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण मिलाएर राख्ने,



प्रदेश सचिव

(ठ) कार्टुनमा लेवल तथा म्याद गुज्रिने मिति प्रष्ट देखिने गरी मिलाउने,

(ड) बिग्रिएका वा म्याद सकिएका सामग्रीलाई अलग्गै राखि त्यसको अभिलेख देखिने गरी राख्ने,

(ढ) औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको भण्डारण कक्षको तापक्रम पच्चिस देखि तीस डिग्री सेल्सियससमा कायम गरी राख्ने।

११. <u>खोप तथा खोपजन्य सामग्रीको भण्डार व्यवस्थापन</u>: (१) नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवाह गरिने खोप तथा राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सञ्चालन हुने खोपको भण्डारण गुणस्तर कायम गरी प्रदेश भ्याक्सिन स्टोर, जिल्ला भ्याक्सिन स्टोर र भ्याक्सिन सब-स्टोरमा भण्डारण गर्नु पर्नेछ।

(२) प्रभावकारी भ्याक्सिन व्यवस्थापन गुणस्तरिय कार्य सञ्चालन विधि अवलम्बन गरी खोपजन्य सामग्रीको उचित भण्डारण गर्नु पर्नेछ।

(३) खोप भण्डारण कक्षको तापक्रम व्यवस्थापन अनुसूची-२ बमोजिमको तापक्रम तालिका बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

१२. <u>औजार तथा उपकरणको भण्डार व्यवस्थापन</u>: (१) नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने, प्रदेशमा खरिद हुने तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने औजार तथा उपकरणको गुणस्तरमा कमी नहुने गरी भण्डारण गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको औजार तथा उपकरणको भण्डारण गर्दा दफा १० बमोजिमका कार्य गर्नु पर्नेछ।

## परिच्छेद-५

## <u>स्वास्थ्य सामग्रीको माग, वितरण, ढुवानी र लिलाम सम्बन्धी व्यवस्था</u>

१३. <u>स्वास्थ्य सामग्री माग गर्ने प्रक्रिया</u>: (१) आवश्यकता अनुसार औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको समयमै आपूर्ति गर्नको लागि केन्द्र, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा पर्याप्त मौज्दात रहे वा नरहेको सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रमा अधिकतम नौं र न्यूनतम छ महिना, जिल्लास्तरमा अधिकतम छ र न्यूनतम तीन महिना र स्थानीय तहमा अधिकतम तीन र न्यूनतम एक महिनाको लागि मौज्दात सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ र यसरी अधिकतम र न्यूनतम मौज्दातको सुनिश्चित गर्दा भण्डारको क्षमता, ढुवानी सुविधा र भौगोलिक दुरीलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम मौज्दातको अवस्था सुनिश्चित गर्नको लागि अनुसूची-३ बमोजिम स्थानीय तहले जिल्ला, जिल्लाले केन्द्र र केन्द्रले नेपाल सरकारसँग माग गर्नु पर्नेछ।

(४) खोप तथा खोपजन्य सामग्रीको हकमा जिल्ला भ्याक्सिन स्टोर तथा सब-स्टोरहरुले अघिल्लो महिनाको यथार्थ खर्च विवरणको आधारमा पछिल्लो महिनाको लागि माग गर्नु पर्नेछ।



प्रदेश सचिव

१४. स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने प्रक्रिया: (१) दफा १३ बमोजिम माग भई आएका सामग्रीको वितरणको लागि आपूर्ति गर्ने निकायले वितरण योजना बनाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वितरण योजना समेतको आधारमा सामग्रीको वितरण गर्दा अनुसूची-४ बमोजिमको वितरण तालिका बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

१५. स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गर्ने प्रक्रिया: (१) प्रदेशभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको ढुवानी गर्दा केन्द्रको स्वामित्वमा रहेको सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रको स्वामित्वमा रहेका सवारी साधन उपलब्ध वा प्रर्याप्त नभएमा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरी ढुवानी गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम स्वास्थ्य सामग्रीको ढुवानी गर्दा वितरण तालिका बमोजिम स्थलगत माध्यमबाट सम्वन्धित स्थानमा ढुवानी गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि स्थलमार्गको पहुँच नभएको स्थानमा हवाई तथा बैकल्पिक माध्यमबाट ढुवानी गर्न सकिनेछ।

१६. स्वास्थ्य सामग्रीको धुलाई, लिलाम तथा नष्ट गर्ने सम्वन्धी व्यवस्था: म्याद नाघेका तथा प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने स्वास्थ्य सामग्रीको धुलाई, लिलाम तथा नष्ट गर्दा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी गरिएको म्याद सकिएका तथा प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने औषधी, रसायन तथा औषधीजन्य सामग्री नष्ट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

## परिच्छेद- ६
## गुणस्तर व्यवस्थापन

१७. गुणस्तर नियन्त्रण: (१) केन्द्रमा प्राप्त वा खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीको, भण्डारण, प्याकिङ्ग, रिप्याकिङ्ग, वितरण र सेवाग्राहीले प्रयोग गर्दासम्म हरेक तहमा मापदण्ड अनुसार गुण्स्तरीय कायम भएको सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रले गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दा आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सामग्रीको भौतिक, रसायनिक तथा जैविक परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको नमूना सङ्कलन गरी औषधी व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालामा पठाउनु पर्नेछ।

## परिच्छेद- ७
## अनुगमन, अनुशिक्षण, सुपरिवेक्षण तथा मुल्याङ्कन

१८. अनुगमन, अनुशिक्षण, सुपरिवेक्षण तथा मुल्याङ्कन: (१) आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रले नियमित रुपमा अनुगमन, अनुशिक्षण, सुपरिवेक्षण तथा मुल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन, अनुशिक्षण, सुपरिवेक्षण तथा मुल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-

प्रदेश सचिव

(क) विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भई मौज्दात रहेको स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्थाको अनुगमन गर्ने,

(ख) मागको आधारमा समयमै स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति भए नभएको सुनिश्चित गर्ने,

(ग) आपूर्ति व्यवस्थापनसंग सम्बन्धी तथ्याङ्कको नियमित मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्ने,

(घ) स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारण, वितरण र प्रयोग मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय भए नभएको सुनिश्चित गर्ने,

(ङ) आपूर्ति श्रृंखला भित्र सम्भावित जोखिम र कमजोरीहरू पहिचान गर्न रणनीतिको विकास गर्ने,

(च) आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन, अनुशिक्षण, सुपरिवेक्षण तथा मुल्याङ्कन गर्दा अनुसूची-५ बमोजिमको चेकलिष्ट प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

(४) केन्द्रले आपूर्ति श्रृंखलाको कम्तीमा त्रैमासिक रुपमा अनुगमन गरी दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको समितिले समीक्षा गरी सुधार गर्नु पर्ने भए आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिन सक्नेछ।

## परिच्छेद- ८

## आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

१९. अभिलेख तथा प्रतिवेदन व्यवस्थापनः (१) निर्धारित समयसीमाभित्र आपूर्ति सम्बन्धी तथ्याङ्कको पूर्ण अभिलेख राखी सोको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख तथा प्रतिवेदन राख्दा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत फारमको प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

(३) स्वास्थ्य संस्थाले जिन्सी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एल.एम.आई.एस.) को प्रयोग नियमित र निरन्तर रुपमा गरी अघिल्लो महिनाको प्रतिवेदन पछिल्लो महिनाको पन्ध्र गतेभित्र तयार गरी सक्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तयार गरिएको प्रतिवेदन केन्द्रमा त्रैमासिक रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त प्रतिवेदन समेतको आधारमा केन्द्रले प्रदेशभित्रको एकिकृत प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

## परिच्छेद- ९

## आकस्मिक अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापन



प्रदेश सचिव

२०. <u>आकस्मिक अवस्थामा आपूर्तिको व्यवस्थापन</u>: (१) आकस्मिक अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दा देहाय बमोजिमका कार्य गर्नु पर्नेछः-

(क) लक्षित जनसंख्याको पहिचान गर्ने,

(ख) आपतकालीन अवस्थामा आपूर्ति गर्ने सामग्रीको सूची तयार गर्ने,

(ग) आपूर्ति केन्द्रको नक्शाङ्कन गर्ने,

(घ) बजेट व्यवस्थापन तथा खरिद गर्ने,

(ङ) सङ्कलन, भण्डारण, सञ्चिति, ढुवानी तथा वितरण गर्ने।

(२) केन्द्रले आपतकालीन अवस्थामा मौज्दात रहेको स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था निक्यौंल गरी आवश्यक थप सामग्रीको तत्काल उपलब्धताको लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी खरिदको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(३) आपतकालीन अवस्थामा नेपाल सरकार, विकास साझेदार वा अन्य दातृ निकायबाट प्राप्त भएको र केन्द्रले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री सोझै प्रकोप प्रभावित समुदायसम्म तत्काल ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम स्वास्थ्य सामग्रीको सङ्कलन, ढुवानी तथा वितरण एकद्वार प्रणाली मार्फत गर्नु पर्नेछ।

(५) प्रभावित समुदायमा स्वास्थ्य सामग्रीको वितरण गर्दा स्थानीय तह, सुरक्षा निकायको समन्वयमा स्थानीयस्तरमा गठन भएको द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्नु पर्नेछ।

(६) आकस्मिक अवस्थामा खरिद, सङ्कलन, रिप्याकिङ्ग, ढुवानी तथा वितरण गरिएको सामग्रीको अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रदेश स्वास्थ्य आकस्मिक व्यवस्थापन केन्द्र तथा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य आकस्मिक व्यवस्थापन केन्द्रमा पेश गर्नु पर्नेछ।

## परिच्छेद-१०

## <u>विविध</u>

२१. <u>प्रचलित कानून बमोजिम हुने</u>: यस निर्देशिकामा लेखिएका विषयहरू यसै निर्देशिका बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

२२. <u>अनुसूची हेरफेर</u>: मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

प्रदेश सचिव

अनुसूची-१

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

खरिद वर्गीकरण

(क) स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहले खरिद गर्नु पर्ने औषधी सूची:

| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका औषधिहरु | | | | औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु | | खरिद तथा वितरणका लागि जिम्मेवार निकाय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.स. | औषधीको नाम | औषधिको बनावट | परिमाण/मात्रा | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी | आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | स्थानीय सरकार | प्रदेश सरकार | संघीय सरकार |
| 1 | Acetylsalicylic acid (Aspirin) | Tablet | 75mg | √ | √ | √ | | |
| 2 | Adrenaline (Epinephrine) | Injection | 1mg in 1 ml | √ | √ | | √ | |
| 3 | Albendazole | Chewable Tablet | 400 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Suspension | 220 mg/ 5ml | √ | √ | √ | | |
| 4 | Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide (Antacid) | Tablet | 250 mg + 250 mg | √ | √ | √ | | |
| 5 | Amitriptyline | Tablet | 10 mg | √ | √ | | √ | |
| | | | 25 mg | | √ | | √ | |
| 6 | Amlodipine | Tablet | 5 mg | √ | √ | | √ | |
| 7 | Amoxicillin | Oral Tablet | 500 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Powder for oral suspension | 125 mg/ml, 100 ml | √ | √ | √ | | |
| | | Dispersible | 125 mg | √ | √ | √ | | |



प्रदेश सचिव

| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका औषधिहरु | | | | औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु | | खरिद तथा वितरणका लागि जिम्मेवार निकाय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. स. | औषधीको नाम | औषधिको बनावट | परिमाण/मात्रा | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी | आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | स्थानीय सरकार | प्रदेश सरकार | संघीय सरकार |
| | | Tablets | 250 mg | √ | √ | √ | | |
| 8 | Ampicillin | Powder for IV/IM Injection | 250 mg Vial | √ (IMNCI) | √ | | √ | |
| | | | 500 mg Vial | | √ | | √ | |
| 9 | Artemether + Lumefantrine (AL) (Artemisinin-based Combination Therapy- ACT) | Tablet | 20 mg + 120 mg | √ | √ | | | √ |
| 10 | Artesunate | Injection | 60 mg ampoules | | √ | | | √ |
| 11 | Atropine | Injection | 0.6 mg in 1 ml ampoule | √ | √ | | √ | |
| 12 | Azithromycin | Tablets | 250 mg | √ | √ | √ | | |
| | | | 500 mg | √ | √ | √ | | |
| 13 | BCG Vaccine | Injection | 0.05 ml/dose | √ | √ | | | √ |
| 14 | Benzathine Benzylpenicillin | powder for injection | 12,00,000 IU | | √ | | √ | |
| 15 | Calamine | Lotion | 15% w/v, 30ml | √ | √ | √ | | |
| 16 | Calcium gluconate | Injection | 1 gm per 10 ml ( 100mg/ml of 10ml) | √ (Birthing Centre Only) | √ | | √ | |
| 17 | Carbamazepine | Tablets | 100 mg | √ | √ | | √ | |
| | | | 200 mg | √ | √ | | √ | |
| | | Oral Liquid | 100mg/5ml | √ | √ | | √ | |
| 18 | Cefixime | Tablet | 200 mg | | √ | √ | | |



सचिव

| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका औषधिहरु | | | | औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु | | खरिद तथा वितरणका लागि जिम्मेवार निकाय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. स. | औषधीको नाम | औषधिको बनावट | परिमाण/मात्रा | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी | आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | स्थानीय सरकार | प्रदेश सरकार | संघीय सरकार |
| 19 | Ceftriaxone | Powder for Injection | 250 mg/ vial | | √ | | √ | |
| | | | 500 mg/ vial | | √ | | √ | |
| | | | 1gm/ vial | | √ | | √ | |
| 20 | Cetrizine HCL | Tablet | 10 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Syrup | 5 mg/ 5ml | √ | √ | √ | | |
| 21 | Charcoal activated | Powder in sachet | 10 gm | √ | √ | √ | | |
| 22 | Chlorhexidine (CHX) | Solution | solution, 0.2% oral in 50 ml | √ | √ | √ | | |
| | | Ointment | 4%, 5 gm | √ | √ | | √ | |
| 23 | Chlorquine (CQ) | Tablet | 150 mg | √ | √ | | | √ |
| 24 | Ciprofloxacin | Tablets | 250 mg | √ | √ | √ | | |
| | | | 500 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Eye/ Ear Drops | 0.3% w/v, 5ml | √ | √ | √ | | |
| | | Eye Ointment | 0.3%, 5 g | √ | √ | √ | | |
| | | Injection | 200mg/100ml | | √ | | √ | |
| 25 | Clotrimazole | skin cream | 1%, 25g | √ | √ | √ | | |
| | | Vaginal Tablets | 100 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Mouth Paint | 1%w/v, 15 ml | √ | √ | √ | | |
| 26 | Clove Oil | Liquid | 5ml | √ | √ | √ | | |
| 27 | Cloxacillin | Capsules | 250 mg | √ | √ | √ | | |
| | | | 500 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Powder for oral liquid | 125mg/ 5ml in 100ml | √ | √ | √ | | |



प्रदेश सचिव

| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका औषधिहरु | | | | औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु | | खरिद तथा वितरणका लागि जिम्मेवार निकाय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. स. | औषधीको नाम | औषधिको बनावट | परिमाण/मात्रा | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी | आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | स्थानीय सरकार | प्रदेश सरकार | संघीय सरकार |
| 28 | Combined Oral Contracetive (COC) | Tablets | 30 pills, 21 pills containing 150 mcg levonorgestrel and 30 mcg ethinylestradiol and 7 pills containing iron | √ | √ | | | √ |
| 29 | Cotimoxazole (Sulphamethoxazole and Trimethoprim 5:1) | Tablets | 400 mg + 80 mg | √ | √ | √ | | |
| | | | 80mg+ 160 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Syrup | 200mg + 40mg/5ml, 50ml | √ | √ | √ | | |
| 30 | Dapsone, Clofazimine, Rifampicin (MDT Combi Pack) | Tablet | MB adult blister pack, MB child blister pack (a/c to DOTS program) | √ | √ | | | √ |
| 31 | Dexamethasone | Injection | 4mg in 1ml ampoule | | √ | | √ | |
| 32 | Dextrose (glucose) | Injection/ Solution | 5%, 500 ml | | √ | | √ | |
| | | | 25% of 50 ml ampoule | √ (Birthing Center Only) | √ | | √ | |
| 33 | Diazepam | Injection | 2 ml amp (5mg/ml) | √ | √ | | √ | |
| | | Tablet | 5 mg | √ | √ | | √ | |



प्रदेश सचिव

| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका औषधिहरु | | | | औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु | | खरिद तथा वितरणका लागि जिम्मेवार निकाय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. स. | औषधीको नाम | औषधिको बनावट | परिमाण/मात्रा | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी | आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | स्थानीय सरकार | प्रदेश सरकार | संघीय सरकार |
| 34 | Diclofenac Sodium | Tablet | 50 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Injection | 3 ml ampoule (25 mg/ml) | √ | √ | | √ | |
| 35 | Doxycycline | Capsule | 100 mg | √ | √ | √ | | |
| 36 | Ferrous sulphate and folic acid | Tablet | 60 mg elemental iron plus 400 mcg folic acid | √ (Birthing Centre Only) | √ | √ | | |
| 37 | FIPV vaccine | Injection | 0.1 ml | √ | √ | | | √ |
| 38 | Fluconazole | Capsule | 150 mg | √ | √ | √ | | |
| 39 | Fluoxetine | Capsule | 20 mg | √ | √ | | √ | |
| 40 | Folic acid | Tablet | 5 mg | √ | √ | √ | | |
| 41 | Furosemide | Tablet | 40 mg | √ | √ | √ | | |
| 42 | Gentamicin | Injection | 40mg/ ml in 2 ml | √ (IMNCI) | √ | | √ | |
| 43 | Gentaian Violet | Aqueous solution | 1%, 10 ml | √ | √ | √ | | |
| 44 | Glimepride | Tablets | 1 mg | √ | √ | | √ | |
| | | | 2mg | √ | √ | | √ | |
| 45 | HPV Vaccine | Injection | 0.5ml/ dose | √ | √ | | | √ |
| 46 | HRZE | Tablet | Combination medication, H-INH, R-Rifamoicin, Z-Pyrazinamide, | √ | √ | | | √ |

| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका औषधिहरु | | | | औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु | | खरिद तथा वितरणका लागि जिम्मेवार निकाय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. स. | औषधीको नाम | औषधिको बनावट | परिमाण/मात्रा | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी | आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | स्थानीय सरकार | प्रदेश सरकार | संघीय सरकार |
| | | | E- Ethambutol a/c to DOTS program | | | | | |
| 47 | Hydrocortison | Powder for injection | 100mg in vial | | √ | | √ | |
| 48 | Hyoscine butylbromide | Injection | Inj. 20mg/ ml | | √ | | √ | |
| | | Tablets | 10 mg | √ | √ | √ | | |
| 49 | Ibuprofen | Tablets | 200mg | √ | √ | √ | | |
| | | | 400mg | √ | √ | √ | | |
| | | Syrup | 100mg/ 5ml | √ | √ | √ | | |
| 50 | Japanese Encephalitis | Injecctionn | 0.5ml/ dose | √ | √ | | | √ |
| 51 | Levonorgestrel (LNG)) | Implant | Impant (2 rods, 75mg each)(2-tablet pack) | √ | √ | | | √ |
| 52 | Lignocaine Hydrochloride | Injection | 2% in vial, 30 ml | √ | √ | √ | | |
| 53 | Lignocaine with adrenaline 1:10,000 | Injection | 2% plus Adrenalin 1:10,000, 30 ml | | √ | √ | | |
| 54 | Losartan | Tablets | 25 mg | √ | √ | | √ | |
| | | | 50 mg | √ | √ | | √ | |
| 55 | Magnesium Sulphate | Injection | 500 mg/ml in 2 ml ampoule | √ (Birthing Centre Only) | √ | | √ | |
| 56 | Measles-Rubella | Injection | 0.5 ml/ dose | √ | √ | | | √ |

| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका औषधिहरु | | | | औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु | | खरिद तथा वितरणका लागि जिम्मेवार निकाय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. स. | औषधीको नाम | औषधिको बनावट | परिमाण/मात्रा | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी | आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | स्थानीय सरकार | प्रदेश सरकार | संघीय सरकार |
| | Vaccine | | | | | | | |
| 57 | Medroxyprogesterone ( Acetate DMPA) | Injection | 150 mg/ml in 1 ml vial | √ | √ | | | √ |
| 58 | Metformin | Tablets | 500 mg | √ | √ | | √ | |
| | | | 1000 mg | √ | √ | | √ | |
| 59 | Methyldopa | Tablet | 250 mg | | √ | | √ | |
| 60 | Metoclopramide | Tablet | 10 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Solution | 5mg/ 5 ml | √ | √ | √ | | |
| | | Injection | 5mg/ 5 ml in 2 ml ampoule | √ | √ | | √ | |
| 61 | Metronidazole | Tablets | 200 mg | √ | √ | √ | | |
| | | | 400 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Oral Liquid | 200 mg/ 5 ml, 90 ml | √ | √ | √ | | |
| | | Injection | 500 mg/ 100 ml | | √ | | √ | |
| 62 | Mifepristone + Misoprostol | Tablet | Combi Pack includes 200 mg + 4(200) mcg | √ | √ | | √ | |
| 63 | Misoprostol | Tablet | 200 mcg | √ (Birthing Centre Only) | √ | | √ | |
| 64 | Nepmycin Skin | Ointment | 2% w/w 10 gm | √ | √ | √ | | |
| 65 | Nifedipine | Tablet | 10 mg | √ | √ | | √ | |
| 66 | Nitrofurantoin | Tablet | 100 mg | √ | √ | √ | | |
| 67 | Normal Saline (NS) | Solution | 0.9% Infusion solution, 500ml | √ | √ | √ | | |



प्रदेश सचिव

| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका औषधिहरु | | | | औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु | | खरिद तथा वितरणका लागि जिम्मेवार निकाय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. स. | औषधीको नाम | औषधिको बनावट | परिमाण/मात्रा | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी | आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | स्थानीय सरकार | प्रदेश सरकार | संघीय सरकार |
| 68 | OPV (Oral Polio Vaccine) | Oral | 2 drops/ dose | √ | √ | | | √ |
| 69 | Oral Rehydration Salts (ORS) | Powder | WHO formula sachet/ ltrs | √ | √ | √ | | |
| 70 | Oxygen | Inhalation | Medicinal Gas | √ | √ | | √ | |
| 71 | Oxymetazoline | Nasal drop | 0.25%, 10ml | √ | √ | √ | | |
| | | | 0.05%, 10 ml | √ | √ | √ | | |
| 72 | Oxytocin | Injection | 10 IU/ml | √ (Birthing Centre Only) | √ | | √ | |
| 73 | Paracetamol | Injection | 150mg/ml in 2ml ampoule | √ | √ | | √ | |
| | | Tablet | 500 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Syrup | 125mg/ 5ml, 50 ml | √ | √ | √ | | |
| 74 | PCV vaccine (Pneumococcal Conjugate Vaccine) | Injection | 0.5 ml | √ | √ | | | √ |
| 75 | Pentavalent Vaccine (DPT, Hep B& Hemophilius influenza B | Injection | 0.5ml | √ | √ | | | √ |
| 76 | Permethrin | Cream | 1% 100ml | √ | √ | √ | | |
| | | | 5% w/v 30g | √ | √ | √ | | |
| 77 | Pheniramine | Injection | 22.75 mg/ml, 2ml | √ | √ | | √ | |
| 78 | Phenobarital | Tablet | 30 mg | | √ | | √ | |



प्रदेश सचिव

| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका औषधिहरु | | | | औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु | | खरिद तथा वितरणका लागि जिम्मेवार निकाय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. स. | औषधीको नाम | औषधिको बनावट | परिमाण/मात्रा | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी | आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | स्थानीय सरकार | प्रदेश सरकार | संघीय सरकार |
| | | Injection | 100 mg/ml | | √ | | √ | |
| 79 | Povidone Iodine | Solution | 5% w/v, 500ml | √ | √ | √ | | |
| 80 | Pralidoxim sodium | Injection | 500mg, 20ml | √ | √ | | √ | |
| 81 | Prednisolone | Tablets | 5mg | √ | √ | | √ | |
| | | | 10mg | √ | √ | | √ | |
| | | | 20mg | √ | √ | | √ | |
| 82 | Primaquine | Tablet | 7.5 mg | √ | √ | | | √ |
| 83 | Pyridoxine | Tablet | 10 mg | √ | √ | | | √ |
| 84 | Ranitidine | Tablet | 150 mg | √ | √ | √ | | |
| | | Injection | 25mg/ml in 2 ml ampoule | √ | √ | | √ | |
| 85 | Ringer's Lactate (RL) | Solution | 500 ml | √ | √ | √ | | |
| 86 | Risperidone | Tablets | 1 mg | √ | √ | | √ | |
| | | | 2 mg | √ | √ | | √ | |
| 87 | Rotavirus Vaccine | Injection | 1.5 ml | √ | √ | | | √ |
| 88 | Salbutamol | Solution for nebulization | 1 mg/ml of 15 ml | √ | √ | √ | | |
| | | Oral Liquid | 2mg/ 5ml | √ | √ | √ | | |
| | | MDI | 100 mcg | √ | √ | | √ | |
| 89 | Silver Sulfadiazine | Cream | 0.2% w/v 15g | √ | √ | √ | | |
| 90 | Tetanus Diptheria (Td) booster vaccine | Injection | 0.5ml/ dose | √ | √ | | | √ |
| 91 | Tetanus Toxoid (TT) | Injection | 0.5ml/ dose | √ | √ | | | √ |
| 92 | Tetracycline | Eye ointment | 1%, 5g | √ | √ | √ | | |



सचिव

| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका औषधिहरु | | | | औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु | | खरिद तथा वितरणका लागि जिम्मेवार निकाय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. स. | औषधीको नाम | औषधिको बनावट | परिमाण/मात्रा | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी | आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | स्थानीय सरकार | प्रदेश सरकार | संघीय सरकार |
| 93 | Tinidazole | Tablet | 500 mg | √ | √ | √ | | |
| 94 | Sodium Valporate | Tablet | 200 mg | | √ | | √ | |
| 95 | Vitamin A | Capsule | 200,000 IU | √ | √ | | | √ |
| | | | 50,000 IU | √ | √ | | | √ |
| 96 | Vitamin B Compiex | Tablet | Thiaine 10 mg, riboflavin 10 mg, pyridoxine 3mg, cyanocobalamin 15 mcg (Therapeutic dose) | √ | √ | √ | | |
| 97 | Vitamin K1 | Injection | 1mg/ 0.5ml | √ | √ | | √ | |
| 98 | Zinc Sulphate | Dispersible Tablets | 10 mg | √ | √ | √ | | |
| | | | 20 mg | √ (IMNCI) | √ | √ | | |

प्रदेश सचिव

# अनुसूची-२
## (दफा ११ को उपदफा (३) सँग सम्वन्धित)
## खोप भण्डारण कक्षको तापक्रमको अवस्था

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको भण्डारण तापक्रम

| भ्याक्सिन | प्राथमिक (केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोर) | प्रादेशिक तहमा | | स्वास्थ्य संस्था | स्वास्थ्य चौकी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रादेशिक तह | स्वास्थ्य कार्यालय | | |
| | भण्डारमा राख्न सकिने अधिकतम अवधि | | | भण्डारमा राख्न सकिने अधिकतम अवधि | |
| | ६– १२ महिना | ४.५ महिना | २.२५ महिना | १ महिना | निर्धारित योजना अनुसार |
| ओ.पी.भी. | माइनस -१५ डिग्री देखि माइनस -२५ डिग्री चिसोमा राखे । ओभीपीमात्र फ्रोजन र अनफ्रोजन गरिरहन सकिने भ्याक्सिन हो । | | +२ डिग्रीदेखि +८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्ने | | |
| बी.सि.जि. | यी ल्योफिलाइज्ड भ्याक्सिनहरूलाई +२ डिग्रीदेखि +८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्ने<br>विरोष अवस्था आइपरेमा यिनलाई माइनस १५ डिग्रीदेखि माइनस २५ डिग्रीसम्ममा अस्थायी रूपमा राख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि स्टोरमा केही समयका लागि राख्ने ठाउँको अभाव भएमा । तर घोलकलाई भने कहिल्यै पनि जम्न दिनुहुँदैन ।) | | | | |
| हीव लायोफिलाइज्ड | | | | | |
| दादुरा | | | | | |
| मेनिन्जाइटिस | | | | | |
| एम.एम.आर. | | | | | |
| दादुरा-रूबेला(एम.आर) | | | | | |
| एलो फेभर | | | | | |
| कलेरा | +२ डिग्रीदेखि +८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्ने फ्रिज हुन नदिने | | | | |
| जे.ई. | | | | | |
| डीटी/टीटी /टीडी | | | | | |
| डी.पि.टी | | | | | |
| डी.पि.टी-हेप-बी | | | | | |
| डी.पि.टी-हेप-बी, हिब लाईफो. ) | | | | | |
| डी.पि.टी-हेप-बी, हिब लिक्युड | | | | | |



प्रदेश सचिव

| | |
|---|---|
| डी.पि.टी.-हिब | |
| हेपाटाइटिस-बी | |
| हिब लिक्विड | |
| एच.पी.भी. | |
| इन्फ्लुएन्जा | |
| आई.पी.भी | |
| न्युमोकोकल | |
| रेबिज | |
| रोटाभाइरस | |

घोलक:- भ्याक्सिन प्याकेजिङ स्टोरमा +२ देखि +८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा घोलक पनि राखिएको हुनसक्छ । घोलक छुट्टै आपूर्ति गरिएको भए यसलाई कोल्डचेन बाहिर अलग्गै राख्न सकिन्छ तर प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले तिनलाई मिसाउने बेलामा एक दिन वा भ्याक्सिन र घोलक +२ देखि +८ डिग्री सेल्सियसको बराबर तापक्रममा भएको सुनिश्चित हुनेगरी चिस्याउनु जरुरी हुन्छ । घोलकलाई जम्न दिनु हुँदैन ।

नोट: केही Pandemic इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिनका घोलक वा पूरक (adjuvant) भने कोल्ड चेनमै भण्डारण गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सचिव

अनुसूची-३

(दफा १३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

**औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको माग तालिका**

| क.स. | मागकर्ता | आपूर्तिकर्ता | त्रैमासिक | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पहिलो | दोस्रो | तेस्रो | चौथो |
| १ | प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र | स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका महाशाखा | कार्तिक १५ गते भित्र | माघ १५ गते भित्र | वैशाख १५ गते भित्र | श्रावण १५ गते भित्र |
| २ | जन/स्वास्थ्य सेवा कार्यालय | प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र | आश्विन मसान्त सम्म | पौष मसान्त सम्म | चैत्र मसान्त सम्म | असार मसान्त सम्म |
| ३ | प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल | प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र | आश्विन मसान्त सम्म | पौष मसान्त सम्म | चैत्र मसान्त सम्म | असार मसान्त सम्म |
| ४ | स्थानीय तह | जन/स्वास्थ्य सेवा कार्यालय | आश्विन १५ गते भित्र | पौष १५ गते भित्र | चैत्र १५ गते भित्र | असार १५ गते भित्र |
| ५ | स्वास्थ्य संस्था | स्थानीय तह | भाद्र मसान्त सम्म | मङ्सिर मसान्त सम्म | फाल्गुन मसान्त सम्म | जेष्ठ मसान्त सम्म |

प्रदेश सचिव

अनुसूची-४

(दफा १४ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

**औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको वितरण तालिका**

| क.स. | वितरण गर्ने निकाय | प्राप्त गर्ने निकाय | त्रैमासिक | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पहिलो | दोस्रो | तेस्रो | चौथो |
| १ | स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका महाशाखा | प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र | श्रावण मसान्त सम्म | कार्तिक मसान्त सम्म | माघ मसान्त सम्म | बैशाख मसान्त सम्म |
| २ | प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र | जन/स्वास्थ्य सेवा कार्यालय | श्रावण १५ गते भित्र | कार्तिक १५ गते भित्र | माघ १५ गते भित्र | बैशाख १५ गते भित्र |
| ३ | प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र | प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल | श्रावण १५ गते भित्र | कार्तिक १५ गते भित्र | माघ १५ गते भित्र | बैशाख १५ गते भित्र |
| ४ | जन/स्वास्थ्य सेवा कार्यालय | स्थानीय तह | असार मसान्त सम्म | आश्विन मसान्त सम्म | पौष मसान्त सम्म | चैत्र मसान्त सम्म |
| ५ | स्थानीय तह | स्वास्थ्य संस्था | असार १५ गते भित्र | आश्विन १५ गते भित्र | पौष १५ गते भित्र | चैत्र १५ गते भित्र |

प्रदेश सचिव

अनुसूची-५

(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

<u>अनुगमन, अनुशिक्षण, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन चेकलिष्ट</u>

कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक बिकास मन्त्रालय

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र

आपूर्ति व्यवस्थापन सुपरिवेक्षण चेक-लिस्ट (**Logistics Management Supervision Checklist)**

जन/स्वास्थ्य सेवा कार्यालय / स्वास्थ्य संस्थाको नाम :

मिति:

स्थान:

सुपरिवेक्षक को नाम :

पद :

संस्था:

**Key Y= Yes, N = No, NA = Not Applicable**

| मानक (Standard) | सूचकहरु (Indicators) | Y/N/NA | टिप्पणी (Comment) |
|---|---|---|---|
| १. सुरक्षित भण्डारण (Storage) | १. औषधि वा सामाग्रीहरु दराज, र्‍याक ,प्यालेटमा भण्डारण गरेको | | |
| | २. औषधि वा सामाग्रीहरु सुख्खा र भेन्टिलेशन भएको ठाउमा भण्डारण गरेको | | |
| | ३. औषधि तथा सामग्रीको कार्टुनहरू भुईमा नछुने र भित्तामा नजोड्ने गरी मिलाएर राखिएको । | | |
| | ४. औषधि तथा सामग्री सीधा सूर्यको प्रकाश नपर्ने गरी राखिएको । | | |
| | ५. औषधि तथा सामग्रीहरूलाई कार्यालय सामान, कीटनाशक औषधि र रासायनिक पदार्थबाट अलग भण्डारण गरेको । | | |
| | ६. औषधि तथा सामग्रीहरूलाई पानी तथा ओसबाट बचाइएको । | | |
| | ७. कण्डम तथा रबरले बनेका वस्तुहरूलाई इलेक्ट्रिक मोटर र अत्याधिक प्रकाश दिने बत्तीबाट टाढा राखिएको । | | |
| | ८. भण्डारमा आगो निभाउने साधनको व्यवस्था गरिएको । | | |
| | ९. सुरक्षाको निश्चित गरिएको ।(ग्रिल, चुकुल) | | |
| | १०. भण्डार कोठा सफा गरी कीरा-मुसाबाट जोगाउने व्यवस्था गरिएको । | | |
| | ११. फिफो (FEFO)प्रणाली अनुसार सामग्रीहरूलाई मिलाएर राखिएको । | | |



प्रदेश सचिव

| मानक (Standard) | सूचकहरु (Indicators) | | | | Y/N/NA | टिप्पणी (Comment) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Check Any Five Items) | | | | | |
| | १२. कार्टुनहरूको तथा र्‍याकमा राखिएको औषधिहरु तथा सामग्रीहरूको लेवल तथा Expiry date प्रष्ट देखिने गरी मिलाइएको। (Check Any Five Items) | | | | | |
| | १३. बिग्रिएका वा म्याद सकिएका सामग्रीहरूलाई छुट्टाइएको । | | | | | |
| | **Score: All "Yes" =1 point; Any "No" =0 point** | | | | | |
| २. खोपको भण्डारण (Vaccine Storage) | १. +२ देखि +८ डिग्री सेल्सीयस तापक्रममा भण्डारण गर्ने गरेको | | | | | |
| | २. दैनिक बिहान बेलुका तापक्रम रेकर्ड गर्ने गरेको । (चार्ट हेर्नुहोस्) | | | | | |
| | ३. फिफो (FEFO) प्रणाली अनुसार खोपहरुलाई मिलाएर राखिएको (Check Any Five Items) | | | | | |
| | ४. VVM ठीक अवस्थामा रहेको। (Check Any Five Items) | | | | | |
| | ५. Fridge/generator चालु अवस्थामा रहेको । | | | | | |
| | Score: All "Yes" =1 point; Any "No" =0 point | | | | | |
| ३. मौज्दात स्थिति (Stock Status) | १. मौज्दातहरू ASL र EOP बिचमा पाईएको । (Check Any Five Items) | | | | | |
| | २. खोपको हकमा सिरिन्ज र भ्याक्सिनको मौज्दात स्थिति १.२५ र २.२५ महिनाको बिचमा रहेको। | | | | | |
| | ३. मौज्दातको स्थिति अवस्था तालिका भर्नुस | | | | | |
| | औषधिको नाम | ईकाई | भौतिक मौज्दात | जिन्सी खाता /eLMIS मौज्दात | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Score: All "Yes" =1 point; Any "No" =0 point | | | | | |
| ४. माग परिमाण निर्धारण तथा वितरण (Determining Order Quantity and | १. जिल्ला स्टोरले स्थानीय तहहरुलाई औषधि/साधनहरु eLMIS मा उल्लिखित मौज्दातको ASL को आधारमा निकाशा दिएको । | | | | | |
| | २. सामानहरूको नियमित माग पठाउदा माग फाराम पठाइएको । | | | | | |
| | ३. स्वास्थ्य संस्थाले पठाएको मासिक LMIS प्रतिवेदनमा उल्लेखीत ASL र EOP को आधारमा वितरण गर्ने गरेको । | | | | | |



प्रदेश सचिव

| मानक (Standard) | सूचकहरु (Indicators) | Y/N/NA | टिप्पणी (Comment) |
|---|---|---|---|
| Distribution) | ४. औषधि/साधनहरु त्रैमासिक रुपमा जिल्लाले वितरण गर्ने गरेको । | | |
| | ५. स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई औषधिहरु पठाउदा ह.फा. सहित पठाउने गरेको । | | |
| | Score: All "Yes" =1 point; Any "No" =0 point | | |
| ५. खरिद (Procurement) | १.जन/स्वास्थ्य सेवा कार्यालय वा स्थानीय तहबाट खरिद गर्ने औषधि / साधनको परिमाण निर्धारण विगत वर्षहरुको खर्च /रुग्णता (Morbidity) को आधारमा गर्ने गरेको | | |
| | २.जन/स्वास्थ्य सेवा कार्यालय वा स्थानीय तहबाट औषधि खरिद गर्दा मौज्दातको आधार लिने गरेको | | |
| | ३.खरिद योजना भएको | | |
| | Score: All "Yes" =1 point; Any "No" =0 point | | |
| ६. स्टोरमा कम्प्युटर सम्बन्धि जनशक्ति विकास र प्रयोग | १.स्टोरलाई उपलब्ध गराएको कम्प्युटर स्टोरमा प्रयोग गर्ने गरेको | | |
| | २.स्टोर किपरले आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धि सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने गरेको र नियमित रुपमा तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने गरेको | | |
| | ३.स्टोर किपरले आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको | | |
| | ४.आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी पुस्तिका स्वास्थ्य सस्थामा रहेको | | |
| | Score: All "Yes" =1 point; Any "No" =0 point | | |
| ७. जिन्सी खाता तथा मासिक प्रतिवेदन | १. औषधि /सामान प्राप्त भएको तथा निकासा गरेको मितिले ७ दिनभित्र जिन्सी खातामा ठिकसंग आम्दानी तथा खर्च गरेको | | |
| | २.स्वास्थ्य सस्थाबाट स्थानीय तहमा मासिक LMIS प्रतिवेदन हरेक महिनाको ७ गते भित्र आउने गरेको स्थानीय तहले १५ गते भित्र eLMIS मा प्रविस्ट गरेको | | |
| | Score: All "Yes" =1 point; Any "No" =0 point | | |

Full score:

Score Obtained:

| | |
|---|---|
| 91%-100% | Excellent |
| 81%-90% | Good |
| 61%-80% | Average |
| <60% | Poor |

कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

प्रदेश सचिव